समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

ज्ञापांक 397-2 /स्था0, दिनांक 25/04/2016

प्रेषित,

श्री विनय कुमार सिंह,
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज।

विषयः- स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि श्री नरेश मंडल पिता-स्व0 भुजूंगी मंडल, ग्राम-गंगापुर भरसौं टोला, थाना-किशनपुर रतवारा प्रखंड-आलमनगर, जिला-मधेपुरा द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय के नामांतरण अपील वाद सं0-113/2013-14 में एक ही तिथि 13.02.2016 को आपके द्वारा दो आदेश पारित किये जाने संबंधी प्राप्त परिवाद पत्र की जाँच अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से करवाई गई।

अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा ने अपने पत्रांक20/गो0(सपत्र) दिनांक 08.04.2016 द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा नामांतरण अपील वाद संख्या-113/2013-14 में एक ही तिथि 13.02.2016 को दो आदेश पारित एवं हस्ताक्षरित किया गया। एक आदेश अपीलार्थी (आरोपकर्त्ता श्री नरेश मंडल) के पक्ष में पारित है, लेकिन मूल अभिलेख में यह आदेश संलग्न नहीं है। दूसरा आदेश उत्तरवादी(सुनील कुमार भगत) के पक्ष में, जो मूल अभिलेख में संलग्न है। न्यायालय पंजी में नामान्तरण अपील वाद संख्या-113/2013-14 को 13.02.2016 को निष्पादित दिखाया गया है, जिस पर आपका हस्ताक्षर अंकित है तथा अपील वाद संख्या 113/2013-14 में एक ही तिथि 13.02.2016 को आपके द्वारा दो आदेश पारित किये जाने संबंधी लगाया गया आरोप प्रथम द्रष्टया अपर समाहर्त्ता द्वारा सही माना गया है।

अतः अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नकों सहित) संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह में जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विन्दुवार स्पष्टीकरण समर्पित किया जाय।

अनुलग्नकः- अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) की छायाप्रति।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

कार्यालय अधी0, मधेपुरा। 21.4.16
जिला स्था0 उप समा0, मधेपुरा।
अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा।

(93)

समारणालय, मधेपुरा

पत्रांक 20 / गो०

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 08 वीं अप्रेल 2016 ई०।

विषय/ श्री नरेश मंडल पिता- स्व0 भुजूंगी मंडल, ग्राम- गंगापुर भरसौं टोला, थाना- किशनपुर रतवारा प्रखंड- आलमनगर, जिला- मधेपुरा से प्राप्त परिवाद पत्र की जाँच के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री नरेश मंडल पिता- स्व0 भुजूंगी मंडल, ग्राम- गंगापुर भरसौं टोला, थाना- किशनपुर रतवारा प्रखंड- आलमनगर, जिला- मधेपुरा द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय के नामांतारण अपील वाद सं0 113/2013-14 में एक ही तिथि 13.02.2016 को दो आदेश पारित किये जाने संबंधी प्राप्त परिवाद पत्र की भवदीय पृष्ठांकन के आलोक में जाँच के कम में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 16/गो0, दिनांक 04.04.2016 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा उक्त नामांतरण अपील वाद से संबंधित मूल अभिलेख की मांग की गई। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के पत्रांक 1456-2 दिनांक 04.04.2016 के द्वारा मूल अभिलेख प्राप्त हुआ। उनके न्यायालय के वादों से संबंधित पंजी के संबंधित पृष्ठ की छाया प्रति की मांग अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से किये जाने पर उनके द्वारा संबंधित पृष्ठ की छाया प्रति भेजी गयी।

इस कार्यालय के पत्रांक 18/गो0, दिनांक 05.04.2016 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अंचल अधिकारी, आलमनगर से प्रतिवेदन की मांग की गई कि प्रश्नगत नामान्तरण अपील वाद सं0 113/2013-14 में दिनांक 13.02.2016 को पारित आदेश की प्रति एवं आदेश प्राप्ति की तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय। अंचल अधिकारी, आलमनगर ने अपने पत्रांक 176-2 दिनांक 07.04.2016 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से लिखा है कि नामांतरण अपील वाद संख्या 113/2013-14 में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा दिनांक 13.02.2016 को पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय नामांतरण अभिलेख संख्या- 1324/2006-07 संबंधी मूल अभिलेख अभी तक उन्हें अप्राप्त है।

इस कार्यालय के पत्रांक 17 दिनांक 05.04.2016 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्री विनय कुमार सिंह, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में उनसे प्रतिकिया मांगी गई। श्री विनय कुमार सिंह, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा अपने पत्रांक 1520-2 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा अपनी प्रतिकिया समर्पित की गई, जो स्वतः स्पष्ट है तथा उसकी छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न की जाती है। उक्त पत्र में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा लिखा गया है कि -

" एक आदेश तैयार किया गया था, लेकिन इस आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और न ही यह अभिलेख के साथ संलग्न था। इतना ही नहीं उक्त आदेश की जानकारी किसी भी पक्ष को नहीं दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि न्यायालय का समय हो गया था एवं अधिवक्तागण नयालय में ओहस्ताक्षरी के आने का इन्तजार कर रहे थे। अतएव तैयार किये गये उक्त आदेश एवं अभिलेख को अपने कार्यालय वेश्म में टेबुल पर राख कर कोर्ट करने न्यायालय चला गया। न्यायालयसे लौट्ने के बाद पूर्व में तैयार किये गये आदेश की समीक्षा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख से की गई। समीक्षोपरान्त एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य/ उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात/ निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख में उपलब्ध राजस्व कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन तथा अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के आलोक में पाया कि पूर्व में तैयार किये गये आदेश में सुधार की आवश्यकता है एवं तदनुसार पूर्व में तैयार किये गये आदेश में सुधार करते हुए नाये सिरे से आदेश तैयार कर आदेश को अंतिम रूप देते हुए पारित किया गया जो अभिलेख में संलग्न है तथा उक्त आदेश की जानकारी उभय पक्षों को भी दी गई तथा उभय पक्षों द्वारा उक्त आदेश विधिवत अभिप्रमाणित प्रति भी प्राप्त की गई है।

उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी के वेश्म में प्रवेश की अनुमति मात्र. श्री रविन्द्र कुमार, कार्यालय परिचारी, जो अधोहस्ताक्षरी के साथ प्रतिनियुक्त थे, को एवं अधोहस्ताक्षरी के पेशकार को ही है। पेशकार मेरे साथ न्यायालय में उपस्थित थे। श्री रविन्द्र कुमार, कार्यालय परिचारी को कहकर कोर्ट चला गया कि अधोहस्ताक्षरी के वेश्म को बन्द कर दें। यह भी उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी वेश्म की चाभी भी श्री रविन्द्र कुमार, कार्यालय परिचारी के पास ही रहता था एवं अधोहस्ताक्षरी के वेश्म को वे ही खोलते एवं बन्द करते थे।

अधोहस्ताक्षरी के वेश्म से अनुपस्थित रहने एवं न्यायालय कार्य में व्यस्त रहने का पुरजोर लाभ उठाते हुए तथा वादगत मामले के प्रथम पक्ष से मिलकर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा तैयार किये गये आदेश की मोबाईल से फोटो लेकर प्रथम पक्ष को दे दिया था जिसकी जानकारी मुझे बाद में मिली। अधोहस्ताक्षरी को इस बात की जानकारी होने पर कि मेरे द्वारा पूर्व में तैयार किये गये आदेश की मोबाईल से खींचा गया फोटो कॉपी प्रथम पक्ष को दे दिया गया है, की सूचना तत्क्षण अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को दिया। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, कार्यालय परिचारी को तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से हटा दिया गया।(आदेश की छाया प्रति संलग्न)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कि आदेश तैयारी करने के कम में ही श्री रविन्द्र कुमार, कार्यालय परिचारी द्वारा आदेश फलक का मोबाईल द्वारा फोटो खींचकर इस वाद के वादी को उपकृत करने के उदेश्यसे तथा बिना अधोहस्ताक्षरी को संज्ञान में लाये ही अवैध रूप से दे दिया गया जबकि आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।''

परिवाद पत्र पर अंकित मोबाईल नम्बर 7545892702 से परिवादकर्त्ता को भी उपस्थित होकर साक्ष्य रखने का निदेश दिया गया। तदनुसार दिनांक 07.04.2016 के अपराहन् में परिवादकर्त्ता श्री नरेश मंडल, उनके भाई अरविन्द मंडल तथा आरोपी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज श्री विनय कुमार सिंह के अतिरिक्त अंचल अधिकारी, आलमनगर भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में उपस्थित हुए। लगाये गये आरोप के संबंध में उपर्युक्त इन सभी से पूछ ताछ की गई।

जाँच के कम में पूछताछ करने पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशनुगंज द्वारा मौखिक रूप से भी अपने पत्रांक 1520-2 दिनांक 06.04.2016 में व्यक्त प्रतिक्रिया को दोहराया।

परिवादकर्त्ता श्री नरेश मंडल से भी लगाये गये आरोप में संबंध में पूछताछ की गई। उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि उक्त दोनों आदेश की छाया प्रति उन्हें